रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1806] नई दिल्ली, बुधवार, जून 28, 2017/आषाढ़ 7, 1939
No. 1806] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 28, 2017/ASADHA 7, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

का.आ. 2028(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 139 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016, द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुक्षाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को तारीख 15 जनवरी, 2016, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुक्षावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य, कर्नाटक राज्य के कूर्ग जिले के उत्तर अक्षांश 12^{0}25' से 12^{0}40' तथा 75^{0}39' से 75^{0}45' पूर्व देशांतर के बीच में 102.92 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है कडकामाल रिजर्व वन के हिस्से का गठन किया गया था;

और, पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी घाट के भाग की विशेषताओं में अभयारण्य क्षेत्र की अत्यधिक खड़ीढाल 35 प्रतिशत से अधिक और ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र 85 प्रतिशत से अधिक है, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र 6000 मी.मी. से 7000 मी.मी. के बीच, प्रचुर जैव विविधता, स्थानिक का उच्च दर और संकटापन्न और संकटापन्न प्रजातियाँ जैसे बाघ (*पैंथेरा टीगरीस)*, तेंदुआ(*पैंथेरा पार्डस)*, जंगली कुत्ता(*कून एलीपेनीस)*, एशियाई हाथी

(*ऐलीफस मैक्सीमुस)*, गौर और भारतीय भैंसा (*बोस गयरयस)*, सांभर (*रूसा यूनीकोलर)*, और मुंजक (*मैनीटीअक्स मुंनतजक*); अन्य छोटे स्तनधारियों में नीलगिरी लंगूर (*तराचयपीथेकस जोहन्नी)*, नीलगिरी चितराला पंजा रहित ऊदबिलाव (*मारट्रेस गवातीनसी)*, ऊदबिलाव (*लुतरोगोले पेरसपीकील्लटा)*, भूरा मुसंग (*परादोक्यरयस जेरदोनी)*, तेदुआ बिल्ली (*परीओनाइलयरअस बेनगालेनसीस)*, तवांगु (*लोरीस लयदेक्केरीअनअस)*, तरवनकोर सूरज- भगत (*पेटीनोमस फयकोकापील्लस*) और अन्य शामिल हैं। अन्य वन्यजीव में किंग कोबरा (*ओफीओफगस हन्नाह)*, इंडियन राक पायथन (*पायथन मोलयरूस मोलयरूस)* शामिल हैं; अभयारण्य के पश्चिमी घाट में एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र में पश्चिमी घाट की 16 में से 13 स्थानिक पक्षी पाए जाते है; अभयारण्य में सुंदर स्थानिक शरण और संकटापन्न भी है मालाबर पट्टित मोर (*पपीलीओ बुद्दाहा*), पैरिस मोर (*पपीलीओ परीस)*, मालाबार रेवेन *(पपीलीओ दरावीदरूम*),और मालाबार बैंडिड स्वेलोटेल (*पपीलीओ लीओमेदोन)* और मुख्य पक्षियों में मालाबार चितकबरी धनेश (*अनथराकोकेरोस कोरोनचुर)*, मालाबार श्वेत धनेश (*हरपेकटेस फसकीटूस)*, मालाबार ट्रायगन (*हरपेकटेस फैसीऐटस)*, मालाबार चिलबिल (*मायओफनूस होरसफीइलइइ*), वायानद चिलबिल (*गररूलाक्स देलेस्सलेरटी*), सफेद तुंदा वृक्ष घालमेल (*देनदरोकीट्टा लेयुकोगसटरा*), पहाड़ी मैना (*गराक्यूला रेलीगीसा*) और अन्य शामिल हैं;

और, पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले कई प्रजातियों में गंभीरता से लुप्तप्राय और लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे एशियाई हाथी(*ऐलीफस मैक्सीमुस*), मालाबार गंध बिलाव (*वीवेर्राअ सीवेट्टीना*), सिंह पुच्छ लघु पुच्छ वानर (*मक्का सीलेनअस)*, तवांगु (*लोरिस लयदाक्केरीअनअस),* नीलगिरी चिराला (*मारटेस गवाटकीनस्सी)*, जंगली कुत्ता (*क्योन अलपीनेस)*, समुथ कोटिड ओटर(*लुटेरोगले पेरसपीकिल्लाटा*), क्रमशः का केंद्र शामिल है । विभिन्न रिज़र्व वनों जैसे बीसले, कीरिबगहा, सुब्रामानया और कदमाकल के चारों ओर, अभयारण्य में बृहत् स्तनीवर्ग एशियाई हाथी(*ऐलीफस मैक्सीमुस*) और बाघ(*पैंथेरा टीगरीस*) के लिए विस्तारित आवास प्रबंध करते है और हाथी परियोजना के अंतर्गत मैसूर हाथी रिज़र्व के भाग के घोषित किया गया और यह कर्नाटक में नगराहोले राष्ट्रीय उद्यान और भाद्रा व्याघ्र रिज़र्व के बीच बृहत् स्तनियों के लिए महत्वपूर्ण गलियारा है;

और, अभयारण्य क्षेत्र में एक बहुत अधिक पुष्प एवं जीवजन्तु विविधता है और अभयारण्य में शोला घासस्थल के साथ अधिकांश सदाबहार वन विकीर्ण है। [चैम्पियन और सेथ वर्गीकरण की आई ए/सी$_3$, 2ए/सी$_2$, 1ए/सी$_3$, 8ए(सी1/डी एस1)] जहाँ, वनस्पति के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियाँ जैसे-*डीपटेरोकरपस इंडिकस, अन्टिअरीस टोक्सीकारिया, किंगीओडेनड्रोन पीन्नाटम, डियोस्परोस इबेनम, अलस्टोनिया स्कोलरिस, बीकोफिया जावनिका, स्लोफइलम अपेटलम, सीन्नामोमुम जेयलानीकम, डलबेरगिया लटीफोलिया, लागेरस्ट्रोइमिया लानकियोलाटा, पीटरोकरपस मरस्पम, बटेरिया इंडिका, इलइयोकरपस स्पा, कनेमा अट्टेनुअटे, माइरस्टिका स्पा, पालाकूयमम इल्लीपटीकम, गरसीनिया स्पा, मकहीलस मकरानाथा, मेसुआफेररा, होपिया परवीफ्लोरा, जयझोएक्सलम मालाबरिकम, कान्नारम स्ट्रिकटम, एक्सनथोजयलम टेट्रास्पर्मम, कालोफइलम अपेटुलम, अरेंगा विहटी, कोस्सीनियम फेनुस्ट्राटम, हयडनोकरपस पेंटनड्रा, मोउल्लावा स्पीकाटा, मापिया फोइटीडा, गनेटम उला,* आदि है;

और, यह संरक्षित क्षेत्र कुमाराधरा नदी का आवाह क्षेत्र है, जो पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य से प्रारंभ होती है और यह अभयारण्य बारहमासी धाराओं और कुमाराधरा नदी की सहायक नदियों जैसे लिंगादाहोले, पारकेहोले, मरीगुंडीहोले, उपांगलाहोले, पड़क्काहोले और कदामाकालहोले के लिए आवाह क्षेत्र का कार्य करता है, जो पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य द्वारा प्रदान की जाने वाली महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को उपदर्शित करता है और अभयारण्य के भीतर कोई ग्राम नहीं है किंतु अभयारण्य की सीमाओं के भीतर चार संवेष्टन हैं (जिसके अंतर्गत दो रबड़ एस्टेट हैं) ;

और, पारिस्थितिक और पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के चारो ओर के संरक्षित क्षेत्र, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, को संरक्षित और सुरक्षित करना आवश्यक है तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों का प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य में पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 से 10 किलोमीटर चारों ओर तक के विस्तारित क्षेत्र को पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 199.37 वर्ग किलोमीटर (बाडों को छोड़कर) के क्षेत्र में फैला हुआ है और जिसका विस्तार पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर 1 मीटर से 10 किलोमीटर है और इस जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** में दिया गया है ।

(2) अक्षांश और देशान्तर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

(3) पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर और पारिस्थितिक संवेदी जोन के मुख्य बिन्दुओं के साथ भू-निर्देशांक **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है |

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों और रिजर्व वन क्षेत्र का वर्णन **उपाबंध IV** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी । उक्त महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए उक्त महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उसमें पारिस्थितिक और पर्यावरणीय मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से तैयार की जाएगी, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास ;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना में दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, जनजातीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का मानचित्रों के साथ अभ्यकंन करेगी और योजना को मानचित्रों में दिए गए विद्यमान तथा प्रस्तावित भूमि उपयोग सुविधाओं के विवरण द्वारा समर्थित किया जाएगा।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग –** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा।

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और अधीन क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगा, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित ग्रह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप जो पैरा 4 के अधीन दिए गए है:

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों या नदियों या जलसरणी की पहचान की जाएगी और उसमें उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी ।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे ।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप नीचे दिए अनुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, किसी होटल या रिसोर्ट का नया संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिसोर्टों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी ;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा पारिस्थितिक पर्यटन पर बल देते हुए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन मार्गदर्शक सिद्धांतों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) नैसर्गिक विरासत -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और तथा उनका परिरक्षण और संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी।

(5) मानव निर्मित विरासत स्थल - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनओं के रुप में आंचलिक महायोजना तैयार की जाएगी।

(6) ध्वनि प्रदूषण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986, के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम 2000 की अनुपालना में किया जाएगा ।

(7) वायु प्रदूषण -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा ।

(8) बहिस्राव का निस्सारण - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषक तत्वों के निस्सारण के साधारण मानकों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन नीचे दिए अनुसार होगा-

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** यातायात का यानीय संचालन पर्यावास के अनुकूल रीति में विनियमित होगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों तथा तदधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन यानीय संचलन के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छ ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे ।

(16)**औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके बाद पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किन्ही नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- अप्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना को वर्गीकरण के अनुसार अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार:

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों को उपदर्शित किया जाएगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि यह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क.प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	प्रदूषण जल या वायु या मृदा या ध्वनि कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	(क) कोई नया उद्योग या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों को स्थापना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगी।
4.	किन्ही परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगी।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधा की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल तथा ठोस अपशिष्ट और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान /

		अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई या विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख.विनियमित क्रियाकलाप		
10.	होटलों और रिसोर्टों का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र सीमा के एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक ही जो भी निकट हो कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे अन्यथा नहीं । परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथालागू पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा ।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवास्यों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुख-सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार परिभाषित गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योग; (iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधा भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन में जिस में ग्रह वास भी है सहायक हो; और

		(v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
15.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
17.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
18.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संन्निर्माण।	लागू विधियों नियमों और विनियमों मार्गी सिद्धांतों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, और उपलब्ध किए जाएंगे।
19.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप करना जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।

20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानीय यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जलकृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित जल बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	विनियमित और समुचित प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाना है ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए निगरीनी समिति गठित करती है, पारिस्थितिक संवेदी जोन की निगरानी प्रभावी के लिए जिसमें निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:--

(i)	प्रादेशिक आयुक्त, मैसूर	अध्यक्ष;
(ii)	माननीय सदस्य, विधानसभा, मदीकेरी निर्वाचन क्षेत्र, कोदागु जिला	-सदस्य;
(iii)	पर्यावरण विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(iv)	शहरी विकास विभाग, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधि	-सदस्य;
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य;
(vi)	प्रादेशिक अधिकारी, कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मैसूर	-सदस्य;
(vii)	कर्नाटक सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र का एक विशेषज्ञ	-सदस्य;
(viii)	सदस्य-सचिव / सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड, कर्नाटक	-सदस्य;
(ix)	उपायुक्त या उसका प्रतिनिधि, कोदागु जिला, मदीकेरी	-सदस्य;
(x)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य	-सदस्य;
(xi)	उप वन संरक्षक, मदीकेरी वन्यजीव प्रभाग, मदीकेरी	-सदस्य-सचिव।

***** (इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्नाटक राज्य सरकार अन्य बातों के साथ सुसंगत अनुमोदन, जिसके अंतर्गत कर्नाटक विधान सभा के सभापति की अनुज्ञा भी है, यदि अपेक्षित हो, अभिप्राप्त करेगी)।

6. निर्देश - निबंधन

(1) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(2) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

IndiaCode

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) निगरानी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध V** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रवृत देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, इस अधिसूचना के उपबंध होंगे ।

[फा. सं. 25/132/2015-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का वर्णन

उत्तर: सीमा रेखा बीसीले राज्य के बिंदु से आरंभ होती है, जहाँ बीसीले राज्य वन की दक्षिण-पश्चिमी सीमा सुब्रामानया रिजर्व वन की उत्तरी सीमा से मिलती है । इसके बाद रेका बीसीले राज्य वन की डी रेखा के साथ उत्तर पुर्वी दिशा में जाती है यह कुमाराल्ली की सीमा स्थिति जी.पी.एस. निर्देशांक उ: 12.700674 पू: 75.690777 ग्राम में बिंदु क्र. सं. 18 तक पहुँचती है।

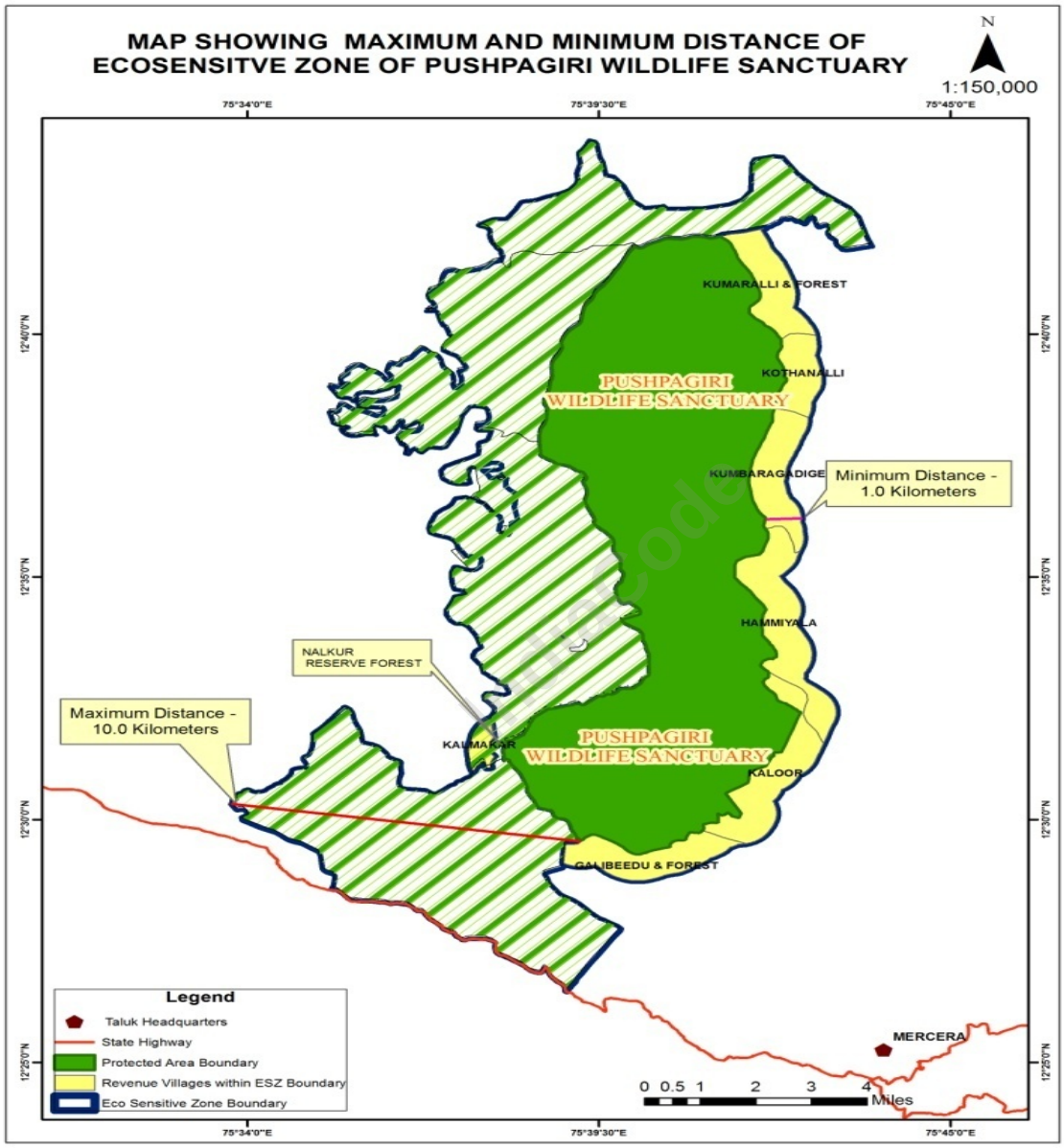
पूर्व: पारिस्थितिक संवेदी जोन सीमा रेखा- इसके बाद पुष्पागिरि वन्यजीव अभयारण्य की डी-रेखा के समांतर 100 मीटर की चौड़ाई में कुमाराल्ली और वन, कोथानाली, सूरलबी, हम्मीचाला, कलूर ग्रामों से होते हुए जाती है, यह गलीबीडु और वन ग्राम में स्थित जी.पी.एस. निर्देशाक उ 12.49213 पू 75.65322 बिंदु (क्र.सं.-26) तक पहुँचती है ।

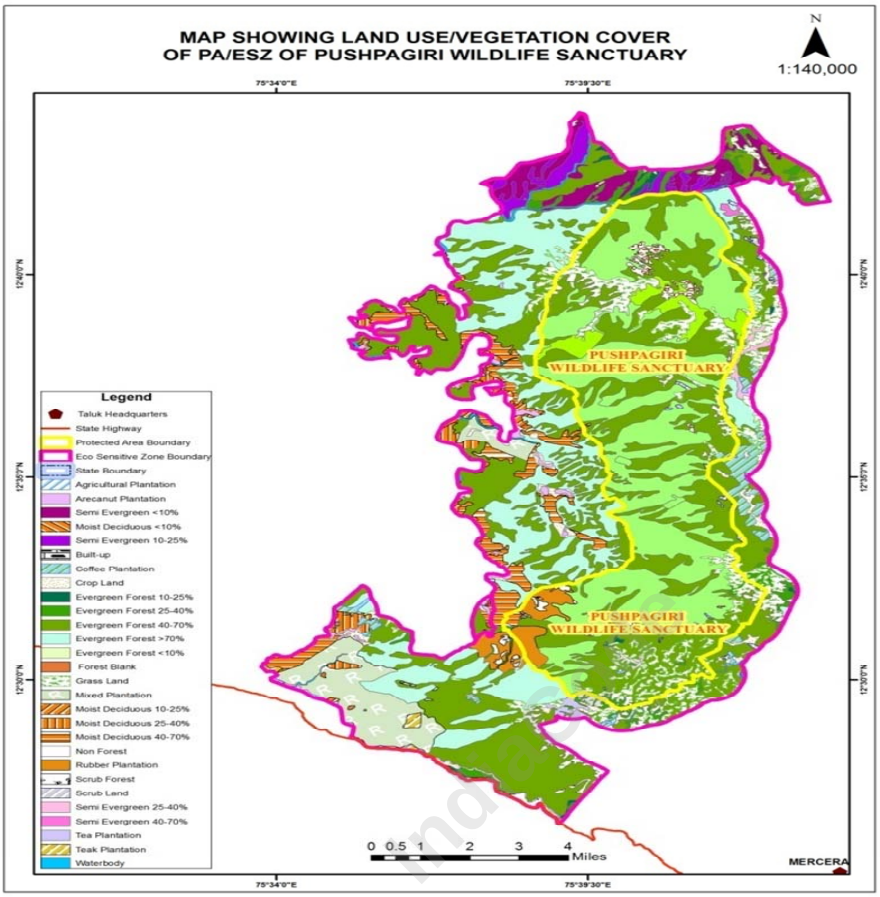
दक्षिण और पश्चिम: इसके बाद रेखा समपजे पर्वतश्रेणी के कदमाकल रिजर्व वन की डी-रेखा से जुड़ती है । इसके बाद यह कदमाकल रिजर्व वन की पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी सीमा के साथ यह जी.पी.एस. निर्देशांक उ 12.519797, पू 75.633166 अध्ययन के साथ कदमाकल रिजर्व वन की डी रेखा पर बिंदु क्र. सं. 31 तक पहुँचती है। इसके बाद रेखा सुलया तालुक के बालागोडु ग्राम के राजस्व क्षेत्र से होते हुए पश्चिमी दिशा में जाती है, यह कीरीबग रिजर्व वन की डी रेखा में स्थित जो जी.पी.एस. निर्देशांक उ 12.52399, पू 75.632449 पर बिंदु क्र. सं.- 32 तक पहुँचती है । इसके अतिरिक्त, रेखा कीरीबग रिजर्व वन और सुब्रामानया रिजर्व वन की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तरी दिशा में जाती है, फिर यह आरंभिक बिंदु पहुँचती है ।

IndiaCode

उपाबंध II

पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र





उपाबंध III

पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू-निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

मानचित्र आई.डी.	देशांतर			अक्षांश		
	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	75	40	5.95	12	41	46.47
2	75	41	26.57	12	42	2.50
3	75	42	9.40	12	40	8.54
4	75	42	13.39	12	38	23.65
5	75	41	55.45	12	36	31.29
6	75	42	6.68	12	34	19.91
7	75	42	4.69	12	33	6.61
8	75	42	14.32	12	31	18.75
9	75	41	40.89	12	30	2.17
10	75	39	13.41	12	29	34.52
11	75	38	1.33	12	31	13.75
12	75	39	53.39	12	34	3.53
13	75	39	17.63	12	37	4.77
14	75	38	54.79	12	39	48.78

पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा पर प्रमुख बिंदुओं के भू- निर्देशांकों को दर्शाने वाली सारणी

	देशांतर			अक्षांश		
मानचित्र आई.डी	डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड
1	75	39	21.02	12	43	59.46
2	75	40	30.73	12	42	38.22
3	75	42	22.34	12	43	38.94
4	75	43	44.99	12	41	48.07
5	75	42	2.90	12	42	6.93
6	75	42	31.98	12	40	32.67
7	75	42	46.70	12	38	17.88
8	75	42	40.25	12	35	36.79
9	75	42	36.13	12	33	58.95
10	75	43	0.08	12	31	32.14
11	75	42	14.48	12	30	19.52
12	75	41	49.68	12	29	30.78
13	75	38	57.72	12	29	5.75
14	75	39	50.96	12	27	45.09
15	75	38	58.27	12	26	27.50
16	75	35	34.40	12	28	21.95
17	75	33	54.27	12	29	59.45
18	75	35	31.46	12	32	19.30
19	75	37	46.68	12	32	5.05
20	75	37	39.26	12	33	33.03
21	75	37	11.49	12	35	5.31
22	75	36	49.96	12	35	59.89
23	75	38	4.42	12	35	51.74
24	75	37	1.42	12	37	11.69
25	75	37	47.69	12	38	0.78
26	75	36	42.26	12	38	3.33
27	75	35	27.90	12	38	2.38
28	75	36	7.15	12	38	29.31
29	75	36	22.15	12	38	55.90
30	75	35	16.96	12	38	55.14
31	75	36	43.24	12	39	42.31
32	75	37	9.64	12	39	59.13
33	75	37	58.95	12	41	34.74
34	75	38	21.85	12	42	44.57

IndiaCode

उपाबंध-IV

पुष्पागिरी वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के नाम

क्र. स	ग्राम का नाम	जिला	तालुक	क्षेत्र हेक्टेयर में	अक्षांश			देशांतर			टिप्पणियां
					डिग्री	मिनट	सैकेंड	डिग्री	मिनट	सैकेंड	
1	कुमाराल्ली और वन	कोदागु	सोमवारपट	448.21	12	40	56.33	75	42	56.15	1 किलोमीटर
2	कोथानाल्ली	कोदागु	सोमवारपट	307.99	12	39	13.38	75	43	20.10	1 किलोमीटर
3	सुरलाबी	कोदागु	सोमवारपट	493.63	12	37	7.15	75	43	22.44	1 किलोमीटर
5	हम्मीयाला	कोदागु	मेरकारा	779.65	12	34	23.22	75	42	59.25	1 किलोमीटर
6	कलमाकर	दाकसहीनाकंनादा	सुलया	96.50	12	30	12.64	75	42	45.29	1 किलोमीटर
7	कल्लूर	कोदागु	मेरकारा	661.50	12	28	34.51	75	40	19.20	1 किलोमीटर
8	गलीबीडु और वन	कोदागु	मेरकारा	501.20	12	31	43.10	75	37	43.79	1 किलोमीटर
				3288.67							

IndiaCode

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 2017

S.O. 2028(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 139 (E), dated 15th January 2016,inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the dated 15th January 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Pushpagiri Wildlife Sanctuary situated in Northern side of Kodagu District of the State of Karnataka and lying between North Latitude 12°25' to 12°40' and the East Longitudes 75°39' to 75°45' spread over an area of 102.92 square kilometres was formed by including part of Kadamakal Reserve Forest;

AND WHEREAS, the Pushpagiri Wildlife Sanctuary forming the core of Western Ghats is characterised by, rugged terrain with more than eighty-five percent of the Sanctuary area having very steep slope of more than thirty five per cent, high rainfall ranging between 6000 mm to 7000 mm, and rich biodiversity represented by large mammals including the Tiger (*Panthera tigris)*, Leopard (*Panthera pardus)*, Wild Dog (*Cuon alpines)*, Asiatic Elephant (*Elephas maximus)*, Gaur or Indian Bison (*Bos gaurus)*, Sambar (*Rusa unicolor)*, and Barking Deer (*Muntiacus muntjak*); other smaller mammals include Nilgiri Langur (*Trachypithecus johnii)*, Nilgiri Marten (*Martes gwatkinsii)*, Otter (*Lutrogale perspicillata)*, Brown Palm Civet (*Paradoxurus jerdoni)*, Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis)*, Slender Loris (*Loris lydekkerianus)*, Travancore Flying Squirrel (*Petinomys fuscocapillus)* and others. Other wildlife includes King Cobra (*Ophiophagus Hannah)*, Indian Rock Python (*Python molurus molurus)*; the Sanctuary has been identified as one of the important bird areas in the Western Ghats as 13 of the 16 endemic birds of the Western Ghats are found here; the Sanctuary also harbors beautiful endemic and endangered papilionids and variety of bird species such as the Malabar Banded Peacock (*Papilio Buddha*), Paris Peacock (*Papilio paris)*, Malabar Raven *(Papilio dravidarum)*, and Malabar Banded Swallowtail (*Papilio liomedon)* and major birds including Malabar Pied Hornbill (*Anthracoceros coronatus)*, Malabar Grey Hornbill (*Harpactes fasciatus)*, Malabar Trogon (*Harpactes fasciatus)*, Malabar Whistling Thrush (*Myophonus horsfieldii*), Wayanad Laughing Thrush (*Garrulax delesserti*), White-bellied Tree-Pie (*Dendrocitta leucogastra*), Hill Myna (*Gracula religiosa*) and others;

AND WHEREAS, many of the species found in the Pushpagiri Wildlife Sanctuary show a high rate of endemism and home for critically endangered and endangered species such as the Asiatic Elephant (*Elephas maximus)*, Malabar Civet (*Viverra civettina*) and Lion Tailed Macaque (*Macaca silenus)*, Slender Loris (*Loris lydekkerianus)*, Nilgiri Marten (*Martes gwatkinsii)*, Wild Dog (*Cuon alpines)*, Smooth-coated Otter (*Lutrogale perspicillata)* respectively, and is surrounded by many reserve forests like Bisle, Kiribagha, Subramanya and Kadamakal; the Sanctuary provides extended habitat for large mammalia such as the Asiatic Elephant (*Elephas maximus)* and Tiger (*Panthera tigris)*and forms part of the Mysore Elephant Reserve declared under the Project Elephant and it acts as an important corridor for large mammals to move between Nagarahole National Park and Bhadra Tiger Reserve in Karnataka;

AND WHEREAS, the sanctuary area has a very high Floral and Faunal diversity and the sanctuary largely consists of evergreen forests interspersed with shola grasslands [IA/C_3, $2A/C_2$, $1A/C_3$, 8A (C1/DS1) of Champion and Seth classification] where the vegetation comprises of very important species like *Dipterocarpus indicus, Antiaris toxicaria, Kingiodendron pinnatum, Diospyrous ebenum, Alstonia scholaris, Bischofia javanica, Calophyllum apetalum, Cinnamomum zeylanicum, Dalbergia latifolia, Lagerstroemia lanceolata, Pterocarpus marsupium, Vateria indica, Elaeocarpus sp., Knema attenuate, Myrstica sp., Palaquium ellipticum, Garcinia sp., Machilus macarantha, Mesua ferrea, Hopea parviflora, Dysoxylum malabaricum, Cannarium strictum, Xanthoxylum tetraspermum,*

Calophyllum apetulum, Arenga whitii, Cossinium fenustratum, Hydnocarpus pentandra, Moullava spicata, Mapia foetida, Gnetum ula, etc.;

AND WHEREAS,the protected area is catchment for River Kumaradhara which takes birth within the Pushpagiri Wildlife Sanctuary; and the Sanctuary also acts as an important catchment area for perennial streams and tributaries of River Kumaradhara such as Lingadahole, Perchehole, Marigundihole, Uppangalahole, Padakkahole and Kadamakalhole which depicts the importance of eco-system services offered by Pushpagiri Wildlife Sanctuary and there are no villages within the Sanctuary but there are four enclosures (including two rubber estates) within the Sanctuary limits.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Pushpagiri Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1 to 10 kilometers from the boundary of Pushpagiri Wildlife Sanctuary in the State of Karnataka as the Pushpagiri Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—

(1)The total geographical area of Eco-sensitive Zone is 199.37 square kilometers (excluding enclosures) with an extent varying from 1 to 10 kilometres around the boundary of Pushpagiri Wildlife Sanctuary and the boundary description of the Eco-sensitive Zone is given in **Annexure – I.**

(2) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes longitudes is appended as **Annexure II;**

(3) The Geo Coordinates of major points on the boundary of Pushpagiri Wildlife Sanctuary and on the boundary of Eco-sensitive Zone boundary is appended as **Annexure-III.**

(4) The list of villages and the details of reserved forest areas falling within the Eco-sensitive Zone is given at **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1)** The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents, and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**

(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Pushpagiri Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer :

Provided that the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts may be permited only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied with in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b)no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343(E), dated the 28th March, 2016;

(b) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.

IndiaCode

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and demolition waste management.- The Construction and Demolition Waste Management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared, and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and the efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial Units.- (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

(18) The Central Government and the State Government shall specify other additional measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

Table

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the

		matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) no new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within Eco-sensitive Zone, and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, etc. companies.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub- paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet their residential needs of the local residents such as:- (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

IndiaCode

		(ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per classification done by the Central Pollution Control Board in the year 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in the year 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone may be permitted by the Competent Authority.
13.	Commercial use of fire wood.	Regulated under applicable laws.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the relevant Central or State Acts and the rules made thereunder.
15.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
16.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
17.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
19.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.

22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable law.
25.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity shall be monitored by the concerned authority.
26.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
29.	Use of polythene bags.	Regulated under applicable laws
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
36.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee.- In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(i) Regional Commissioner, Mysure – Chairman;
(ii) Hon'ble Member of Legislative Assembly, Madikeri Constituency, Kodagu District – Member;
(iii) Representative of the Department of Environment, Government of Karnataka – Member;
(iv) Representative of the Department of Urban Development, Government of Karnataka –Member;
(v) Representative of non-Governmental organisation working in the field of nature conservation (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Karnataka for three years – Member;
(vi) Regional Officer, Karnataka State Pollution Control Board, Mysure – Member;
(vii) One expert in Ecology from reputed Institution or University of the State of Karnataka to be nominated by the Government of Karnataka for three years – Member;
(viii) Member-Secretary/Member, State Biodiversity Board, Karnataka – Member;
(ix) Deputy Commissioner or his representative, Kodagu District, Madikeri – Member;
(x) Member, State Biodiversity Board-Member;
(xi) The Deputy Conservator of Forests, Madikeri Wildlife Division, Madikeri – Member-Secretary.

* : (Subject to the State Government of Karnataka obtaining relevant approvals *inter alia* including permission from the Speaker of Legislative Assembly, Karnataka, if required)

6. Terms of reference:-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be three yers.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V.**

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/132/2015-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

IndiaCode

ANNEXURE-I

BOUNDARY DETAILS OF PUSHPAGIRI WILDLIFE SANCTUARY

North:The Boundary line starts at a point on the Bisile State Forest, where the South Western boundary of Bisile State Forest meets the Northern boundary of Subramanya Reserve forest. Then the line runs in north eastern direction all along the D-Line of Bisile State Forest till it reaches a point SL.No: 18 in the village boundary of Kumaralli bearing GPS co-ordinates N: 12.700674 E: 75.690777.

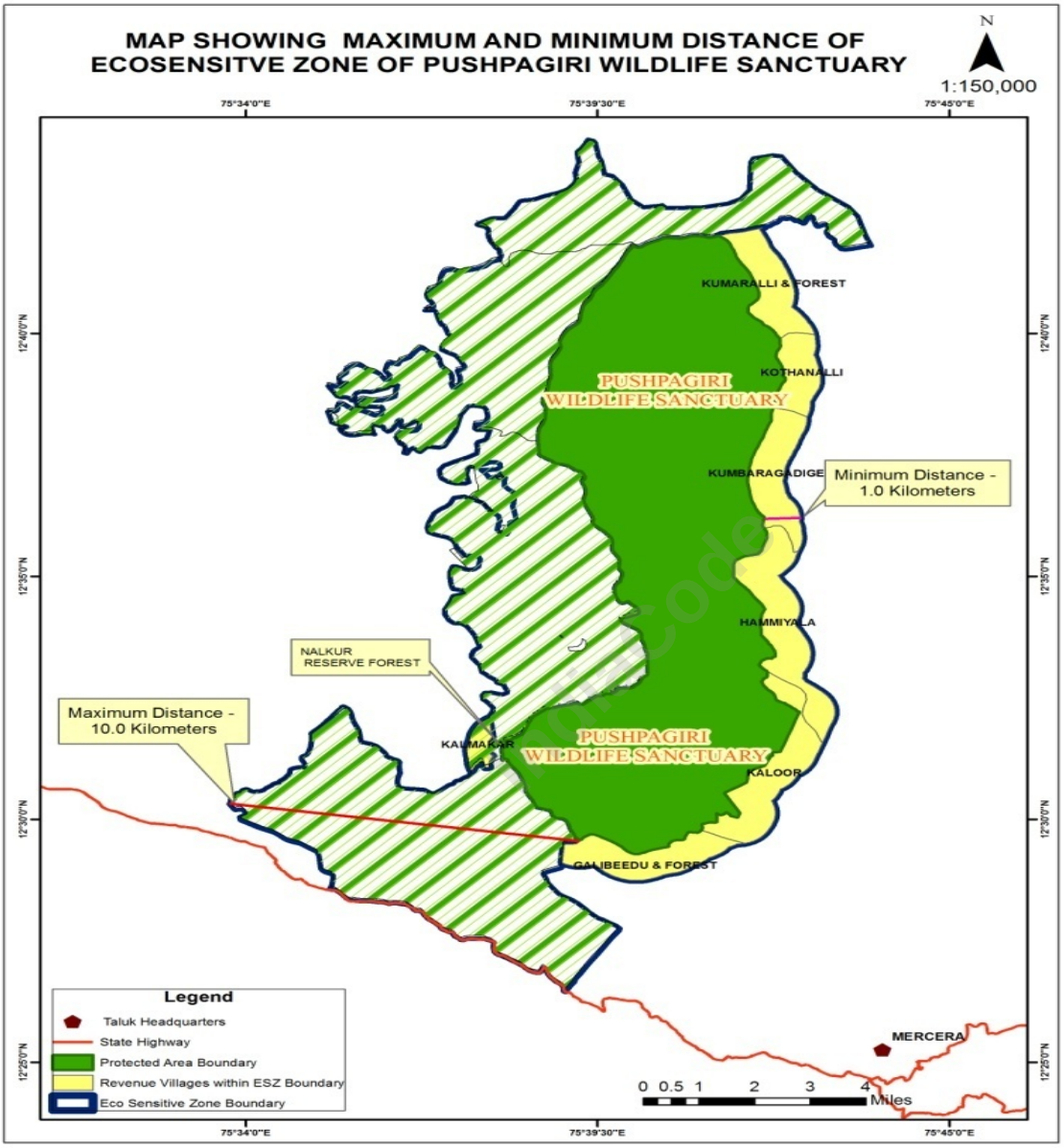
East:The Eco-sensitive Zone boundary line then runs at a width of 1 kilometer parallel to the D-Line of Pushpagiri Wildlife Sanctuary passing through the villages of Kumaralli and Forest, Kothanalli, Surlabi, Hammiyala, Kalmakar, Kaloor and Gaalibeedu and Forest till it reaches a point (Sl.No: 26) bearing Geo Co-ordinates N 12.49213 E 75.65322 of the village Galibeedu and Forest.

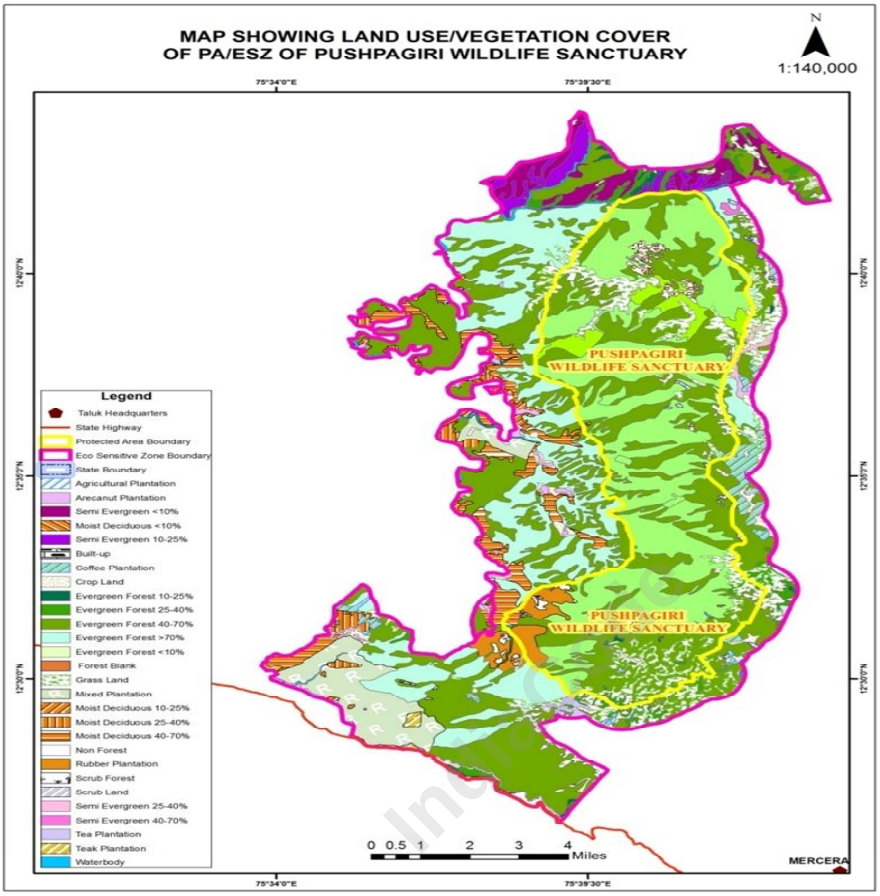
South and West:Then the line joins the D-line of Kadamakal Reserve Forest of Sampaje Range. Then it runs all along the Eastern, Southern, Western boundary of the Kadamakal reserve forest till it reaches a point Sl.No: 31 on the 'D' line of Kadamakal Reserve Forest with a GPS reading N 12.519797, E 75.633166. Then the line run in the western direction through revenue areas of Balagodu village of Sulya taluk till it reaches a point Sl.No:32 on the D-Line of Kiribag Reserve Forest bearing GPS co-ordinates N 12.52399, E 75.632449. Further, the line runs in Northern direction all along the western boundary of Kiribag reserve forest and Subramanya reserve forest till it reaches the starting point.

IndiaCode

ANNEXURE-II

Map Showing Eco-sensitive Zone of Pushpagiri Wildlife Sanctuary





ANNEXURE-III

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Pushpagiri Wildlife Sanctuary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	40	5.95	12	41	46.47
2	75	41	26.57	12	42	2.50
3	75	42	9.40	12	40	8.54
4	75	42	13.39	12	38	23.65
5	75	41	55.45	12	36	31.29
6	75	42	6.68	12	34	19.91
7	75	42	4.69	12	33	6.61
8	75	42	14.32	12	31	18.75
9	75	41	40.89	12	30	2.17
10	75	39	13.41	12	29	34.52
11	75	38	1.33	12	31	13.75
12	75	39	53.39	12	34	3.53
13	75	39	17.63	12	37	4.77
14	75	38	54.79	12	39	48.78

Table showing Geo Coordinates of major points on the boundary of Eco-sensitive Zone around Pushpagiri Wildlife Sanctuary.

Map ID	Longitude			Latitude		
	Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds
1	75	39	21.02	12	43	59.46
2	75	40	30.73	12	42	38.22
3	75	42	22.34	12	43	38.94
4	75	43	44.99	12	41	48.07
5	75	42	2.90	12	42	6.93
6	75	42	31.98	12	40	32.67
7	75	42	46.70	12	38	17.88
8	75	42	40.25	12	35	36.79
9	75	42	36.13	12	33	58.95
10	75	43	0.08	12	31	32.14
11	75	42	14.48	12	30	19.52
12	75	41	49.68	12	29	30.78
13	75	38	57.72	12	29	5.75
14	75	39	50.96	12	27	45.09
15	75	38	58.27	12	26	27.50
16	75	35	34.40	12	28	21.95
17	75	33	54.27	12	29	59.45
18	75	35	31.46	12	32	19.30
19	75	37	46.68	12	32	5.05
20	75	37	39.26	12	33	33.03
21	75	37	11.49	12	35	5.31
22	75	36	49.96	12	35	59.89
23	75	38	4.42	12	35	51.74
24	75	37	1.42	12	37	11.69
25	75	37	47.69	12	38	0.78
26	75	36	42.26	12	38	3.33
27	75	35	27.90	12	38	2.38
28	75	36	7.15	12	38	29.31
29	75	36	22.15	12	38	55.90
30	75	35	16.96	12	38	55.14
31	75	36	43.24	12	39	42.31
32	75	37	9.64	12	39	59.13
33	75	37	58.95	12	41	34.74
34	75	38	21.85	12	42	44.57

IndiaCode

ANNEXURE-IV

Villages falling within the Eco-sensitive Zone around Pushpagiri Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Name of the village	District	Taluk	Area In Hectare	Latitude			Longitude			Remarks
					Degree	Minutes	Seconds	Degree	Minutes	Seconds	
1	Kumaralli & Forest	Kodagu	Somvarpet	448.21	12	40	56.33	75	42	56.15	1 kilometer
2	Kothanalli	Kodagu	Somvarpet	307.99	12	39	13.38	75	43	20.10	1 kilometer
3	Surlabi	Kodagu	Somvarpet	493.63	12	37	7.15	75	43	22.44	1 kilometer
5	Hammiyala	Kodagu	Mercara	779.65	12	34	23.22	75	42	59.25	1 kilometer
6	Kalmakar	Dakshina Kannada	Sulya	96.50	12	30	12.64	75	42	45.29	1 kilometer
7	Kaloor	Kodagu	Mercara	661.50	12	28	34.51	75	40	19.20	1 kilometer
8	Galibeedu & Forest	Kodagu	Mercara	501.20	12	31	43.10	75	37	43.79	1 kilometer
				3288.67							

IndiaCode

Details of the Notified Reserved Forest Areas within the Eco-sensitive Zone around Pushpagiri Wildlife Sanctuary

Sl. No.	Name of the Forest	District	Taluk	Area in Sq. Km.	Government Order No/ Notification No. and Date
1	Bisle State Forest	Hassana	Sakleshpur	36.44	No. - 409 - Ft. F. 40-95 dated: 31-12-1900
2	Subramanya RF	Dakshina Kannada	Sulia	29.16	Section.16 Government Order No. 1259 REV 218-Forest dated: 26-12-1905
3	Kiribag RF	-do-	Sulia	38.1	Section.16 Government Order No. 996 REV 133-Forest dated: 05-10-1906
4	Kadamakal RF	Kodagu	Madikeri	62.24	No. 42, dated 05-05-1904
5	Nalkur RF	Dakshina Kannada	Sulia	0.55	Section.16 Government Order No. 2222 dated: 04-09-1907
Total				**166.49**	

ANNEXURE – V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record. [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006. [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
 [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints lodged under section 19 of Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.03 09:33:41 +05'30'